

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

प्रति,

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय - पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों के महँगाई भत्ते में 7% की वृद्धि।

—■—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2014/नियम/चार, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से वेतन बैण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर 100% की दर से महँगाई भत्ता देय था।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को वेतन बैण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर निम्नांकित तिथि एवं दर से महँगाई भत्ता दिया जावे :-

अवधि जब से देय	महँगाई भत्ते का प्रतिशत
दिनांक 01-07-2014 से (माह जुलाई, 2014 का वेतन जो माह अगस्त, 2014 में देय होगा)	107%

2/ महँगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहाँ वे कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मिलिन्द वाईकर)

अपर सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

प्रतिलिपि

- 1 महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 2 आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
- 4 आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
- 5 आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 7 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 8 सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग